उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-43/2017/एस-2-2883/दस-2017-33(36)/2016

लखनऊ :: दिनॉक:: 01 नवम्बर ,2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' ज्येष्ठ वेतनमान, श्रेणी-एक, वेतनबैण्ड-3, वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 7600/- में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को विशेष वेतनमान, वेतनबैण्ड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 8700/-(लेवल-13) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करने एवं उनके वर्तमान पदों पर पदोन्नति के ग्रेड वेतन रू0 8700/- में अंकित पद/स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती का स्थान
1	2
1	श्रीमती सुषमा रानी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पिछडा वर्ग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2	श्री हरि शंकर मिश्रा, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
3	श्री राम लवट त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
4	श्री हरीराम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, बस्ती मण्डल, बस्ती।
5	श्री राजेश कुमार पाण्डेय, मुख्य कोषाधिकारी, फैजाबाद।
6	श्री लियाकत अली, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य कर्मचारी बीमा निदेशालय, कानपुर

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7	श्री अखिलेश कुमार पाठक, संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

2- उक्त नवपदोन्नत अधिकारी पदोन्नति के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे। इनकी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव।

संख्या-43/2017/एस-2-2883(1)/दस-2017, तददिनाँक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, पेंशन निदेशालय/वित्तीय प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, फैजाबाद/वाराणसी/बस्ती/कानपुर।
6- निदेशक, राज्य कर्मचारी बीमा निदेशालय, कानपुर।
7- निदेशक, पिछडा वर्ग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9- अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, वाराणसी/बस्ती ।
10- मुख्य कोषाधिकारी, (कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन) लखनऊ/बस्ती/फैजाबाद/वाराणसी।
11- संबंधित अधिकारीगण।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।